राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 395/2013

गंगाप्रसाद शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम, अलवर।
3. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, अलवर।
4. सहायक कोषाधिकारी, (पेंशन) अलवर।
5. प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, शिवाजी पार्क, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.05.2013
आदेश की दिनांक : 30.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 27.03.2012, 05.04.2012 एवं 17.07.2012 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी से वसूली की गई राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापिस लौटाई जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 30.11.1970 को हुई थी और उसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय, धारासर बाड़मेर पदस्थापित किया गया। अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर अपीलार्थी दिनांक 31.08.2006 को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। आदेश दिनांक 27.03.2012 के द्वारा अपीलार्थी से पेंशन के अधिक भुगतान की राशि 4,19,687/– वसूल किये जाने का आदेश दिया गया और उक्त पत्र के आधार पर आदेश दिनांक 05.04.2012 के द्वारा अपीलार्थी को वसूली जमा कराने के आदेश किये गये तथा

आदेश दिनांक 17.07.2012 द्वारा अपीलार्थी से मासिक पेंशन की 1/3 की कटौती प्रतिमाह किया जाना सुनिश्चित किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी के खाते से कटौतियां की गई, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आज दिनांक तक न तो कोई वसूली आदेश जारी किया गया और न ही अपीलार्थी को अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में किसी तरह का पत्र या सूचना नहीं दी गई। बिना किसी कटौती आदेश, बिना किसी सूचना के अपीलार्थी के खाते से कटौती की जाना अनुचित है। पेंशन खाते से अधिक भुगतान की वसूली किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। आदेश दिनांक 27.03.2012 एवं 17.07.2012 में कहीं भी कारण अंकित नहीं किया गया है कि अपीलार्थी को किस कारण अधिक राशि भुगतान की गई है। राजस्थान नियमों एवं पेशन नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी से पेंशन से वसूली नहीं की जा सकती है। जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी से वसूली की गई है, जो सेवा नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 27.03.2012, 05.04.2012 एवं 17.07.2012 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी से वसूली की गई राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापिस लौटाई जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की पेंशन पत्रावली की जांच करने पर पाया गया कि सवहन से वर्ष 2008 का पेंशन रिवीजन रूपये 15,426/– गलत हो गया था, जिसे आदेश दिनांक 25.03.2012 को रूपये 10,283/– संशोधित किये जाने के कारण अधिक भुगतान होने से जुलाई से दिसम्बर तक राशि रूपये 4,19,687/– वसूली की स्थिति उत्पन्न हो गई। अपीलार्थी दिनांक 31.08.2006 को सेवानिवृत्त हो गया। किंतु प्रकरण में की जा रही वसूली सेवानिवृत्ति से पूर्व अवधि से संबंधित नहीं होकर सेवानिवृत्ति पश्चात् देय पेंशन से अधिक भुगतान हो जाने पर वसूली से संबंधित है, जिसमें कोई जांच नहीं की जानी है बल्कि वसूली का कारण पूर्व में पेंशन का अधिक भुगतान हो जाना है, जिस प्रकार देय पेंशन के कम भुगतान हो जाने पर एरियर भुगतान किया जाता है, उसी प्रकार देय पेंशन से अधिक भुगतान हो जाने पर उसकी वसूली किया जाना उचित है। पेंशन की सुविधा के लिये किश्तों में वसूली करने हेतु आदेश दिनांक 17.07.2012 जारी किया गया और अपीलार्थी का पेंशन भुगतान बंद नहीं किया गया है और न ही रोका जा रहा

है बल्कि देय भुगतान में से अधिक भुगतान की वसूली की जा रही है, जो उचित है। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के परिशिष्ठ 6 के बिंदु संख्या 18 में स्पष्ट प्रावधान है कि *''बैंक पेंशनरों को गलत या अधिक भुगतान के लिये सरकार की क्षतिपूर्ति करेगी एवं इस प्रयोजन के लिये विहित किये जा रहे आवश्यक क्षतिपूर्ति बंधपत्र को निस्तारित करेगी। अपने स्वयं के हितों की रक्षा करने के लिये, बैंक पेंशनर्स से यह प्रतिवचन प्राप्त करेगी कि पेंशनरों के खाते में जमा किये गये अधिक भुगतान की बैंक द्वारा वसूली की जा सकती है। ऐसा प्रतिवचन बैकों द्वारा सादा कागजों पर स्वीकार किया जायेगा।''* इस प्रकार अपीलार्थी से वसूल की जा रही राशि नियमानुसार उचित है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 30.11.1970 को हुई थी। अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर अपीलार्थी दिनांक 31.08.2006 को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। आदेश दिनांक 27.03.2012 के द्वारा अपीलार्थी से पेंशन के अधिक भुगतान की राशि 4,19,687/– वसूल किये जाने का आदेश दिया गया और उक्त पत्र के आधार पर आदेश दिनांक 05.04.2012 के द्वारा अपीलार्थी को वसूली जमा कराने के आदेश किये गये तथा आदेश दिनांक 17.07.2012 द्वारा अपीलार्थी से मासिक पेंशन की 1/3 की कटौती प्रतिमाह किया जाना सुनिश्चित किया गया। जहां तक अपीलार्थी को बिना कोई कारण बताये तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना उसकी पेंशन से प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिक भुगतान की कटौती किये जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश दिनांक 05.04.2012 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश अपीलार्थी को प्रेषित किया गया है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि सहायक कोष अधिकारी के निरीक्षण के दौरान वर्ष 2008 के संशोधित पेंशन रिवीजन में रूपये 4,19,687/– की वसूली निकाली गई है। अतः आप उपरोक्त वसूली तुरंत जमा कराये अन्यथा आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। इस प्रकार हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि बिना कोई कारण बताये पेंशन से वसूली की जा रही है। हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के परिशिष्ठ 6 के बिंदु संख्या 18 में स्पष्ट प्रावधान है कि *''बैंक पेंशनरों को गलत या अधिक भुगतान के लिये सरकार की क्षतिपूर्ति करेगी एवं इस*

प्रयोजन के लिये विहित किये जा रहे आवश्यक क्षतिपूर्ति बंधपत्र को निस्तारित करेगी। अपने स्वयं के हितों की रक्षा करने के लिये, बैंक पेंशनर्स से यह प्रतिवचन प्राप्त करेगी कि पेंशनरों के खाते में जमा किये गये अधिक भुगतान की बैंक द्वारा वसूली की जा सकती है। ऐसा प्रतिवचन बैकों द्वारा सादा कागजों पर स्वीकार किया जायेगा।''

इस प्रकार उपरोक्त नियमों के प्रावधानानुसार अपीलार्थी से पेंशन में अधिक भुगतान हो जाने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की गई वसूली में हम नियम विरूद्धता नहीं पाते हैं। अतः अपीलार्थी की अपील में कोई बल न होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य